राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 7(51)परि / नियम / मु. / 2011 / 43918 जयपुर, दिनांकः 25/09/17

कार्यालय आदेश संख्या 32 / 2017

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 10 एवं नियम 14 मे क्रमशः शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (learners license) एवं स्थाई लाईसेंस जारी करने का प्रावधान है। इन नियमो के तहत आवेदक को अन्य दस्तावेजों के साथ केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 मे वर्णित पते का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 मे विदेशी नागरिक के लिए यह साक्ष्य देना आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति भारत वर्ष में वैधानिक रूप से निवास कर रहा है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के खण्ड 12 मे दिया गया प्रावधान निम्नानुसार हैः–

> " Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case of foreigners."

अतः सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 मे वर्णित उक्त नियम के तहत विदेशी नागरिक को ऊपर वर्णित शर्तो के अधीन ड्राईविंग लाईसेंस नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः प. 7(51)परि / नियम / मु. / 2011 / 43919-924 जयपुर, दिनांक 25/09/17

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)